सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 27/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

धर्मराज पुत्र रामदेव मीणा निवासी मानपुरा तहसील देवली जिला टोंक

बनाम

1. बन्नाराम पुत्र लाडूडा
2. रामप्रसाद पुत्र लाडूडा
3. रामप्रताप पुत्र लाडूडा
4. सीताराम पुत्र लाडूडा
5. सोसर देवी पुत्री लाडूडा
6. किशन पुत्र गोपाल
7. सत्यनारायण पुत्र गोपाल
8. सीमा पुत्री गोपाल
9. चन्ता पुत्री गोपाल

समस्त जाति मीणा निवासीगण चेच्या का खेडा मजरा विजयनगर पटवार हल्का लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–
1. श्री हेमराज कानावत एडवोकेट वादी।
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी

निर्णय **दिनांकः–**

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट लसाडिया में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में उपस्थित अधिवक्तागण को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार हैं –

वादी के अधिवक्ता ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम/कस्बा छाबडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 356 में दर्ज कुल किता खसरा नं. 4 कुल रकबा 3.22 हेक्ट. व खाता नं. 355 में दर्ज खसरा नं. 1120 रकबा 0.02 गैर मुमकिन चाह जो कि वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। वादी ने प्रतिवादी सं. 4 का 1/6 हिस्सा क्रय किया हैं। वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में आराजी दर्ज होने से शामिल में काश्त किया जाना संभव नहीं हैं तथा आये दिन वादी की क्रयशुदा आराजी की सीमा को लेकर आपस में कहा सुनी होती है जिसके कारण वादी ने बंटवारा किये जाने हेतु यह दावा पेश किया हैं जिसे मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सानुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण 1, 3 व 5 की ओर से श्री हनुमान प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने पावर पेश किया पत्रावली बकाया की तलबी में विचाराधीन है। प्रतिवादीगण को पूर्व दिनांक 05.04.2017 हेतु जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब किया गया हैं। किन्तु प्रतिवादी सं. 2, 4, 6 से 9 बावजूद सूचना के अब तक प्रकरण में

उपस्थित नहीं हुए है लिहाजा प्रतिवादी सं. 2, 4, 6 से 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली आज कैम्प कोर्ट लसाडिया में पेश हुई जहां उपस्थित अधिवक्ता को सुना गया जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम छाबडिया तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2071—74 के खाता सं. 356 में वर्णित कुल किता खसरा नं. 4 कुल रकबा 3.22 हेक्ट. दर्ज खातेदारी है जिसमे वादी का 1/9 हिस्सा दर्ज था तथा जमाबन्दी संवत् 2071—74 के खाता नं. 355 में वर्णित गैर मुमकिन चाह खसरा नं. 1120 में वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज खातेदारी हैं। वादी ने प्रतिवादी सं. 4 सीताराम का आराजी व चाह में 1/6 हिस्सा था जिसमें से प्रतिवादी सं. 4 का साबिक खसरा नं. 486 में से अपने हिस्से की आराजी में से 2/3 हिस्से की आराजी क्रय की है तथा साबिक खसरा नं. 487 में अपना सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा बेचान किया हैं। आराजी का बंटवारा नहीं होने से आये दिन पक्षकारान में कहा सुनी होती हैं व लगान आदि जमा कराने में लडाई—झगडे होते हैं जिससे परेशान होकर वादी ने यह दावा बंटवारा कराने हेतु पेश किया हैं जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

वादी ने निम्न दस्तावेज प्रकरण में पेश किये है।

1. नकल जमाबन्दी संवत 2071—74 खाता नम्बर 356
2. नकल जमाबन्दी संवत 2071—74 खाता नम्बर 355
3. नक्शा ट्रेस
4. गिरदावरी संवत् 2071—72 पंजीयन दस्तावेज दिनांक 28.11.1997 की छायाप्रति।

प्रतिवादी सं. 1, 3 व 5 के अधिवक्ता ने प्रकरण में जवाब दावा पेश नहीं किया है न ही कोई अन्य दस्तावेज पेश किया हैं। किन्तु प्रतिवादी सं. 1, 3 व 5 वादग्रस्त आराजी व चाह में सह खातेदार है तथा प्रतिवादी सं. 2, 4 व 6 से 9 भी सह खातेदार है। उनका भी वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा होना जाहिर होता हैं तथा प्रतिवादी सं. 4 ने अपना हिस्सा पुराने साबिक खसरा नम्बर 486 व 487 में से बेचान किया गया है जिसके पंजीयन दस्तावेज की छायाप्रति वादपत्र में संलग्न हैं।

प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में कोई दस्तावेज या सबूत आदि पेश नही किये है।

हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वादी का दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत है जिसमें प्रतिवादी 1, 3 व 5 के अधिवक्ता हाजिर है तथा प्रतिवादी सं. 2, 4 व 6 से 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी हैं जिससे वादी का दावा पेमा फैसाई होना पाया जाता है तथा वादपत्र का सन्तुलन वादी के पक्ष में होना पाया जाता हैं।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम छाबडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2071—74 के खाता नम्बर 356 व 355 में वर्णित आराजी व चाह का बंटवारा किया जाने हेतु डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार केकडी को 500 रूपये मौका फीस तय करते हुए मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व मौकानुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर मय मौका पर्चा व नजरी नक्शा के साथ न्यायालय हाजा में आगामी पेशी तक पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी